फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

एस आर जी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जिसका मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 321, एस एम लोडा काम्पलेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर
– प्रार्थी

बनाम

1. श्री प्रकाश मेवाडा पुत्र श्री छोगा जाति कलाल निवासी 71, मुख्य ग्राम, कालागुण पोस्ट ताल, तहसील देवगढ जिला राजसमन्द
(ऋणी / बंधक कर्ता)
2. श्रीमती रेखा देवी पत्नी श्री प्रकाश मेवाडा जाति कलाल निवासी 71, मुख्य ग्राम, कालागुण पोस्ट ताल, तहसील देवगढ जिला राजसमन्द
(सहऋणी)
3. श्री नारायण लाल पुत्र श्री चुनालाल निवासी मकान नम्बर 01, मुख्य ग्राम सूरतपुरा, पोस्ट ताल तहसील देवगढ जिला राजसमन्द
(जमानती)

–अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 17 / 2022**

कमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 22 / 03 / 2022 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी एस आर जी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड उदयपुर ने इस न्यायालय में दिनांक 11.01.2022 को धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से 03 ने वित्तिय संस्था से दिनांक 17.09.2020 को 3,00,000 / –रूपये का ऋण लिया था। अप्रार्थी संख्या 01 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुर्नभुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में अपनी अचल सम्पति को प्रार्थी के पास रहन किया और उस सम्पति पर निर्मित भवन एवं ढांचा आदि को भी प्रार्थी के पक्ष में गिरवीकृत किया जिसका बंधक सम्पति का विवरण श्री प्रकाश मेवाडा पुत्र श्री छोगा जाति कलाल की संपति जो पट्टा संख्या 23, बुक संख्या 29, मिसल संख्या 303 दिनांक 25.02.2019 संकल्प संख्या 28 ग्राम कालागुण ग्राम पंचायत ताल तहसील देवगढ जिला राजसमन्द पर स्थित है। जिसमे भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 832.75 वर्गफीट है। चतुर्थसीमा पूर्व में–श्री देवीलाल पुत्र श्री रंगलाल का मकान, पश्चिम में – श्री बस्तीमल कलाल का मकान, उत्तर में – श्री उदयलाल पुत्र श्री मोतीलाल का मकान, दक्षिण में – रास्ता है। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 04.06.2021 को अक्रियान्वित आस्ति मे वर्गीकृत कर दिया है अप्रार्थीगण के खाते मे दिनांक 26.07.2021 को बकाया राशि 3,35,050 / – रूपये अक्षरे तीन लाख पैतीस हजार पचास रूपये मात्र तक शेष देय है व दिनांक 27.07.2021 से आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि का भुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी द्वारा उक्त	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 20.08.2021 को नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया और जिसकी प्राप्ति के बाद भी पुनः देय राशि का भुगतान प्रार्थी को नही दिया। अप्रार्थीगण ने देय ऋण राशि का भुगतान बावजुद मांग के भी प्रार्थी को नहीं किया है। उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी को वर्णित बंधक रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि को वसूल करने के अधिकारी है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पति का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर प्रार्थी वित्तिय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलाने की कृपा करावें।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 का नोटिस दिनांकः 20.08.2021 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने संबंधी रजिस्टर्ड ए0डी0 की रसीदे पेश की गयी। उसके बावजुद भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की बकाया राशि मय ब्याज सहित का भुगतान आज दिनांक तक नहीं किया गया। आवेदक बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी बंधक सम्पति का विवरण श्री प्रकाश मेवाडा पुत्र श्री छोगा जाति कलाल की संपति जो पट्टा संख्या 23, बुक संख्या 29, मिसल संख्या 303 दिनांक 25.02.2019 संकल्प संख्या 28 ग्राम कालागुण ग्राम पंचायत ताल तहसील देवगढ जिला राजसमन्द पर स्थित है। जिसमे भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 832.75 वर्गफीट है। चतुर्थसीमा पूर्व में–श्री देवीलाल पुत्र श्री रंगलाल का मकान, पश्चिम में – श्री बस्तीमल कलाल का मकान, उत्तर में – श्री उदयलाल पुत्र श्री मोतीलाल का मकान, दक्षिण में – रास्ता है।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी एस आर जी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड उदयपुर के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी एस आर जी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड उदयपुर को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(नीलाभ सक्सेना)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)